



ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00008

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 18/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा)
एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

1. राकेश कुमार चराया पुत्र ओमप्रकाश चराया जाति अरोडा, निवासी 139, जी-ब्लॉक
श्रीगंगानगर
मै० न्यू स्पेशल बर्फी एण्ड स्वीट कॉर्नर, 73 डी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर
अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011
निर्णय


दिनांक : 26.02.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.03.2017 को दोपहर 05.00 पी. एम.पर फर्म मै० न्यू स्पेशल बर्फी एण्ड स्वीट कॉर्नर, 73 डी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म ल राकेश कुमार चराया पुत्र ओमप्रकाश चराया मै० न्यू स्पेशल बर्फी एण्ड स्वीट कॉर्नर, 73 डी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को छैना पेस्टी (Proprietary Food) आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ छैना पेस्टी (Proprietary Food) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान के काउन्टर में स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद छैना पेस्टी (Proprietary Food) लगभग 5 किलोग्राम को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रूप किया एवं इस एकरूप की हुई छैना पेस्टी (Proprietary Food) में से 2 किलोग्राम कतली बर्फी खरीदी एवं कीमत 440/- रु अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों




अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा छैना पेस्टी (Proprietary Food) को चारो नमूना प्लास्टिक बोतालों में बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंद फार्मलीन डाली प्रत्येक नमूना बोतलों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-783 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएँ एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राकेश कुमार चराया ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस/708/एक्ट/2017/775 दिनांक 17.04.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-783 छैना पेस्टी (Proprietary Food) अमानक स्तर (substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राकेश कुमार चराया पुत्र ओमप्रकाश चराया मै0 न्यू स्पेशल बर्फी एण्ड स्वीट कॉर्नर, 73 डी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर छैना पेस्टी (Proprietary Food) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.01.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस छैना पेस्टी (Proprietary Food) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (substandard Food) पाया गया है। मैं जांच के वक्त घबरा गया था एवं सभी बातों का जवाब नहीं दे पाया। उस कारण छैना पेस्टी (Proprietary Food) में डाले गये



जयपुर
श्रीगंगानगर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मैदा के बारे में नहीं बता पाया। भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया खुरबानी का सैम्पल के-783 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/708/एक्ट/2017/775 दिनांक 17.04.2017 द्वारा (substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02-छैना पेस्टी (Proprietary Food) = 42-4 पाया गया जबकि Minimum 40-0 to 44-0 [for Milk fat] प्रतिशत होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस छैना पेस्टी (Proprietary Food) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (substandard Food) पाया गया है। मैं जांच के वक्त घबरा गया था एवं सभी बातों का जवाब नहीं दे पाया। उस कारण छैना पेस्टी (Proprietary Food) में डाले गये मैदा के बारे में नहीं बता पाया। भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " Chaina Pestaaery" (Proprietary Food) bearing Code No. and Sr. No. K-783 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganar is **Substandard Food** Under Section 3[1][zx] of FSS Act ,2006 starchy Matter has been added in the products . (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रुपये 4,000-00 (अखरे रुपये चार हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में छैना पेस्टी (Proprietary Food) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर